आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Fisheries Department

Construction of community ponds

मेघालय मत्स्य विभाग मछली पालन के लिए जल क्षेत्र बढ़ाने वाले सामुदायिक तालाब बनाने पर सब्सिडी देता है।

क्या मिल सकता है

सामुदायिक तालाब बनाने पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे राज्य में मछली पालन का जल क्षेत्र बढ़ता है। लागत इस तरह बंटी है: 54 प्रतिशत केंद्र, 6 प्रतिशत राज्य और 40 प्रतिशत लाभार्थी।

किसके लिए है

मेघालय के प्रगतिशील मछली पालक, स्वयं सहायता समूह, मछली पालक सहकारी समितियां और उद्यमी, आयु 18 से 60 वर्ष।

मुख्य शर्तें

- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पेज पर राज्य के प्रगतिशील मछली पालक, स्वयं सहायता समूह, मछली पालक सहकारी समितियां और उद्यमी लक्षित लाभार्थी बताए गए हैं।
- तालाब सामुदायिक तालाब हो, जो मछली पालन के जल क्षेत्र में बढ़ोतरी करे।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/37224
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-community-ponds-construction/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।